

(viii) लक्षानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी० भूमि अधिग्रहण योजनित विभागीय कार्य यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-२२-लेखापीरक-८०५४ सड़कों तथा सड़कों पर पार्कोपार्क प्रदान करने के सड़कों-आयोजनागत-८००-अन्य व्यय-०५-सड़क/भवन/संतु आदि के भूमि अधिग्रहण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राधिकारित निवर्तन पर रखी गयी यथावश्यक विभागीय कार्य

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2015 तक सुनिश्चित किया जाना। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय अगले मंजूर निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के आवंटन राशि-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनगत-800-अन्य धन-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-959/XXV(11/2)/2014 दि०-24 मार्च, 2015 को आपस उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(अपरिचित विभागाधीन)
अपर सचिव

संख्या-1935 / 111(2)/15-03(मु०म०घो०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोदर्न बिल्डिंग, माजरा देहसादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहसादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि. अल्मोड़ा।
10. गार्ड बुक।

छाया प्रति प्रमाणित

वित्त अनुभाग-2
प्रान्तीय सचिव, लो.नि.वि.
अल्मोड़ा

(26)

2.2.11

-3-

शासनादेश संख्या:-1935 / 111(2) / 15-03(मु0म0घा0) / 2015 दिनांक 26 मार्च, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चातुर्वितीय वर्ष में धनराशि अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	गा० मुख्यामंत्री जी की घोषणा सं० 887/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर में ज्योली-बसर-खूँट मोटर मार्ग में निर्माणधीन कार्यों से बसगांव व पड़माज मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	33.98	0.10
2	गा० मुख्यामंत्री जी की घोषणा सं० 889/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर में खूँट-घामस-बसर-ज्योली मोटर मार्ग से ग्राम टकांती तक 03 किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	125.49	0.10
3	गा० मुख्यामंत्री जी की घोषणा सं० 911/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर में शीतलाखेत मोटर मार्ग से रा०ई०का० चौमघार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	28.14	0.10
4	गा० मुख्यामंत्री जी की घोषणा सं० 914/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर में काकड़ीघाट के पास सिरोंता नदी पर लोहे के बर्डर पुल का निर्माण कार्य।	50 mtr	2.00	0.10
5	गा० मुख्यामंत्री जी की घोषणा सं० 908/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर में शीतलाखेत-हरड़ा मोटर मार्ग में जणघार से सुनियाकोट-मटेला मार्ग तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	7.00	65.70	0.10
6	गा० मुख्यामंत्री जी की घोषणा सं० 909/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर में चम्पाखाली से ग्राम डोल पोखरा होते हुए नये शीतलाखेत तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	3.00	24.70	0.10
7	गा० मुख्यामंत्री जी की घोषणा सं० 910/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर में द्वारसी-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के 2.00 किमी० से सुनियाकोट-कोटली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	4.00	32.93	0.10
8	गा० मुख्यामंत्री जी की घोषणा सं० 912/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड - हवालभाग में कटारमल सूर्य मन्दिर से बिसरा-कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत तक दिक् मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	4.00	33.98	0.10

शासनादेश संख्या:- 1935 / 111(2)/15-03(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 26 मार्च, 2015 का स

9	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से ग्राम क्वैराली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	30.98	
10	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 795/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नौगांव से सेलाकोट, काने, रिखाड़ व महरगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण + 24मी0 स्थान स्टील गार्डर पुल सहित।	16.00 + 24 mtr	126.29	
11	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 230/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-रानीखेत में चमनपुरी- कारधूली मोटर मार्ग के फलनासीमा स्थान से रिखोली ग्राम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	18.43	
12	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 217/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-रानीखेत में सौगाढ़ पन्तगांव शैलापानी मोटर मार्ग में थौली से चमड़खान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	17.33	0
13	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 223/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-रानीखेत में रानीखेत-जालली मासी मोटर मार्ग में पनघटर से ग्राम गुलोली होते हुए अभ्याड़ी की ओर लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	18.43	0
14	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 235/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-रानीखेत में ग्राम सिंगोली से शीठा महादेव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	43.31	0
योग:-		59.00 + 02 Brg	601.69	1.40

(कुल र एक लाख चालीस हजार)

11/11/15
सहायक अभियन्ता,
प्रांतीय सड़क, नौ. नि. वि.
अल्मोड़ा,

(सहायक अभियन्ता)
उपस्थित